

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने
पटना-01

आवश्यक सूचना

सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के अंतर्गत न्याय समाधान केन्द्र के लिए इच्छुक अधिवक्ताओं एवं पारा विधिक स्वयं सेवकों या सामाजिक कार्यकर्ताओं से पैनल की सूची तैयार करने हेतु इच्छुक अधिवक्ताओं एवं पारा विधिक स्वयं सेवकों या सामाजिक कार्यकर्ताओं से आवेदन-पत्र की माँग की गयी थी। लेकिन पूरे राज्य में कोविड-19 महामारी के कारण एवं लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए, आवेदन प्राप्त करने की तिथि दिनांक 22 अगस्त, 2020 तक बढ़ायी जाती है।

Sunil Dutta Mishra
13-8-20

(सुनील दत्त मिश्रा)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
पटना

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने

पटना.800001

सूचना

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार परिसर में एक निःशुल्क विधिक सेवा “न्याय समाधान” केन्द्र की स्थापना की गई है। जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को विविध विधिक सेवाएँ उपलब्ध कराना तथा उनके वादों की अद्यतन जानकारी, कानूनी सलाह एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, के अलावा केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देना तथा विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिला जेलों से संपर्क स्थापित कर जेल में बंद बंदियों को कानूनी सलाह पैनल अधिवक्ताओं द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत “न्याय समाधान” केन्द्र के लिए वैसे इच्छुक अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयं सेवक या सामाजिक कार्यकर्ता (लिखने, पढ़ने एवं कम्प्यूटर की जानकारी आवश्यक) जो न्याय समाधान केन्द्र के पैनल की सूची में अपना नाम सूचिबद्ध कराना चाहते हैं तो वे अपना आवेदन, बायोडाटा एवं अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ कार्यालय में जमा कर सकते हैं। पैनल अधिवक्ता का कार्यकाल 3 वर्षों एवं पारा विधिक स्वयं सेवक या सामाजिक कार्यकर्ता का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। तथा उनका मानदेय प्रति कार्य दिवस 500/-रु० (पाँच सौ रुपये मात्र) देय होगा।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2020 निर्धारित है।

ह०/-

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार